D

आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर व्दारा अवगत कराया गया है कि देश एवं प्रदेश में हाल में हुई आतंकवादी घटनाओं में काफी जनहानि हुई है। इन आतंकवादियों/असामाजिक तत्वों, घटनाओं के अंजाम देने के लिए अपने छिपने के लिए जनपद कानपुर नगर सीमान्तर्गत विभिन्न रिहायशी इलाकों/मोहल्लों को प्रयोग में लाया जा सकता है जिससे समाजिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था व जन–जीवन को क्षति पहुँचने की आशंका है। उक्त के अतिरिक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर व्दारा यह भी अवगत कराया गया है कि विगत 06 माह में जनपद के विभिन्न अपराधिक घटनाओं में ऐसे अपराधी पकड़े गए हैं जो किराये के मकान में आवासित थे। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए मकान मालिकों व किरायेदारों के संबंध में नियम निर्धारित करते हुए कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, ताकि असामाजिक तत्वों व आतंकवादियों व्दारा की जाने वाली असामाजिक गतिविधियों को रोका जा सके।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दं0प्र0सं0 की धारा–144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं अनिल कुमार सागर, जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर एतद् व्दारा जनपद कानपुर नगर सीमान्तर्गत विभिन्न रिहायशी/व्यवसायिक भवनों/स्थानों के स्वामियों/किरायेदारों के लिए निम्नांकित प्रतिबन्धों का पालन सुनिश्चित कराने हेतु आदेश पारित करता हूँ –

1– मकान मालिक/स्वामी अपनी किसी भी सम्पत्ति को जो किराये पर किसी व्यक्ति को दी जा रही है, के संबंध में संलग्न प्रारूप में उल्लिखित सभी बिन्दुओं पर सूचना संबंधित थाने को किराये पर देने से पूर्व देंगें तथा जो मकान मालिक अपना मकान किराए पर उठा चुके हैं, वे भी इस प्रारूप पर सूचना तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

2– सभी व्यक्ति जो कि किराये पर मकान लेना चाहते हैं, इस संबंध में वह संलग्न प्रारूप में उल्लिखित सभी बिन्दुओं पर सूचना संबंधित थाने को किराये पर लेने से पूर्व देंगें।

3– ऐसे मकान मालिक जो कानपुर नगर से बाहर निवास कर रहे हों उनके भवन के संबंध में सूचना किरायेदार के अतिरिक्त मकान मालिक व्दारा अधिकृत प्रापर्टी डीलर/रीयल एस्टेट एजेन्ट अथवा मकान मालिक व्दारा अधिकृत अन्य व्यक्ति व्दारा संबंधित थाने को लिखित रूप में दी जाएगी।

4– संलग्न प्रारूप की प्रति संबंधित थाने, क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

5– संलग्न प्रारूप जिला प्रशासन की बेवसाइट www.kanpurnagar.nic.in से डाउनलोड कर भी प्राप्त की जा सकेगी। जिसे भरने के उपरान्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के ई मेल पते

sspknr@.up.nic.in पर प्रेषित किया जा सकता है। मेल पर प्रारूप भरने की अवस्था में बेव कैमरा व्दारा खींचा गया फोटो अथवा स्कैन किया गया फोटो भी मान्य होगा।

6— मेल व्दारा भेजी गयी सूचना के संबंध में प्रेषित मेल की प्रिन्टेड प्रति ही पावती मानी जाएगी।

लोक व्यवस्था व लोक प्रशान्ति बनाए रखने के हित में अपरिहार्यता के दृष्टिगत यह आदेश पारित किया जा रहा है। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा। यदि बीच में वापस न लिया गया तो आज की तिथि 27—8—08 से दिनांक 26—10—08 तक प्रभावी रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन धारा—188 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

सर्वसाधारण में इस आदेश का प्रचार स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर एवं पुलिस कन्ट्रोल रूम की गाड़ियों व्दारा उपयुक्त स्थलों पर लाउड स्पीकर से घोषणा करके किया जायेगा।

आज दिनांक 27—8—08 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित कर जारी किया गया।

(अनिल कुमार सागर)
जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।

संख्या-1456 /एसटी—08 दिनांक अगस्त 27 ,2008

प्रतिलिपि—

1— आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर को अवलोकनार्थ।
2— पुलिस उप महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर को सूचनर्थ।
3— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आ0का0हेतु।
4— समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
5— पुलिस अधीक्षक पूर्वी/पश्चिमी/ग्रामीण/यातायात/अपराध को आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।
6— नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट को आ0का0हेतु।
7— उप सूचना निदेशक, कानपुर नगर को 05 अतिरिक्त प्रतियो सहित प्रकाशनार्थ एवं प्रसारण हेतु।
8— प्रशासनिक अधिकारी/न्याय सहायक/पूँछताँछ लिपिक कलेक्ट्रेट, कानपुर नगर।

(अनिल कुमार सागर)
जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।